राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांकः प. 5(2)एम.ई./ग्रुप–1/2000 जयपुर, दिनांकः 11.8.2015

परिपत्र

पूर्व में जारी समस्त दिशा–निर्देशो के अतिक्रमण में राज्य में निजी चिकित्सा महाविद्यालय/दन्त महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु एसेन्सियेलिटी सर्टिफिकेट कम फिजीबिलिटी और डिजाईरेबल्टी सर्टिफिकेट जारी करने के निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. **आशय पत्र जारी करने हेतु अर्हतायें**

प्रथम स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण कर आशय पत्र दिया जावेगा। आशय पत्र के लिये आवेदक निर्धारित परिपत्र में आवेदन पत्र निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगें।

1.1 आशय पत्र हेतु आवेदन की पात्रता

नया आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/दन्त कॉलेज स्थापित करने की अनुमति के लिये निम्न आवेदन करने के पात्र होगेः–

1. राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र
2. विश्वविद्यालय
3. केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा अथवा विधान द्वारा समर्थित स्वायत्त निकाय जो आयुर्विज्ञान शिक्षा के प्रयोजन के लिये हैं।
4. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) अथवा राज्यों के तद्नुरूपी अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटियां अथवा।
5. न्यास अधिनियम 1882 (1882 का 2) अथवा अधिनियम 1954 (1954 का 29) के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक धार्मिक अथवा धर्मार्थ न्यास।
6. कम्पनी एक्ट के अध्ययधीन पंजीकृत कम्पनियां जो व्यवसायिक उद्देश्य से कॉलेज की स्थापना नही करती हो

1.2 आशय पत्र हेतु प्रार्थना पत्र

चिकित्सा महाविद्यालय एवं दन्त महाविद्यालय हेतु निर्धारित आवेदन पत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर से 500 रू. फीस राजकीय खातें में जमा करवाकर प्राप्त कर सकेगे।

1.3 आशय पत्र हेतु अर्हता मानदण्ड

आवेदक यदि निम्नलिखित शर्त पूरी करते है तो उन्हें निर्धारित प्रार्थना पत्र मय सम्बन्धित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर आशय पत्र जारी करने पर विचार किया जावेगा।

1. पैरा 1.1 अनुसार पात्रता रखते हो।
2. आवेदक के पास चिकित्सा महाविद्यलाय हेतु 20 एकड क्षेत्रफल का समुचा एक भूखण्ड का स्वामित्व और कब्जा हो या फिर 99 वर्ष का पट्टा हो।
3. आवेदक के पास दन्त महाविद्यालय हेतु 5 एकड़ क्षेत्रफल का समुचा एक भूखण्ड का स्वामित्व और कब्जा हो या फिर 99 वर्ष का पट्टा हो।
4. आवेदन पत्र के साथ निम्न सूचनायें आवश्यक रूप से लगानी होगीः–
    1. संस्था के वाईलॉज/मेमोरेण्डम एवं संस्था के अनुच्छेद ट्रस्ट डीड इत्यदि की सत्यापित प्रति सुपाठ्य सुसगत हो।
    2. पंजीयन की सत्यापित प्रति।
    3. पिछले तीन वर्ष की अंकेक्षिक बैलेस शीट।
    4. भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी सत्यापित प्रति।
    5. भूमि के साइट प्लान/जोनिग प्लान की सत्यापित प्रति।